न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 53/2012

श्री रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री रामधन जी जाति माली निवासी ग्राम सराना तहसील व जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर/नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम. ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री अमर सिंह राठौड अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :–09.11.2016**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सराणा के खसरा सं0 399 के नये नम्बर 514 के रकबा 01–10–00 बीघा किस्म बरडा, सिवाय चक भूमि पर मकान, बाडा व खेत बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का सराणा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91(6) के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये दिनांक 19.9.2012 को मन मर्जी से प्रकरण धारा 91 में मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट के इसी आदेश सें असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस से पूर्व अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता मय फर्द दस्तावेज के प्रस्तुत कर दस्तावेजो को रेकार्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर सुना जाकर स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी को ग्राम सराणा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं0 पुराने 399 जिसके नये नम्बर 514 बने में से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1957 के तहत दिनांक 21.5.1967 को गैर खातेदार के रूप में आवंटित की गई। आवंटित भूमि में से करीब 10 बीघा भूमि पर अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों का कब्जा काश्त संयुक्त रूप से पिछले 40–45 वर्षो से निरन्तर व लगातार चला आ रहा है, जो राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील से भी साबित है। इस भूमि पर उनके द्वारा कुऑ खुदवा लिया गया था जिस पर 30 वर्ष पुराना विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है। कृषि यन्त्र वगैरह रखने हेतु पक्के मकानों का निर्माण भी हो रखा है। अपीलान्ट द्वारा इसके आधार पर खातेदारी उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट को उक्त वाद बाबत नोटिस तामिल होने के बावजूद भी उनके द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91(6) के

09/11/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

तहत कार्यवाही दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट एवं उनके भाईयों द्वारा उपस्थित होकर उक्त नोटिस का विस्तार पूर्वक जवाब मय दस्तावेजात के प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर एवं सूचित किये बिना मन मर्जी से प्रकरण धारा 91 में मानते हुए दिनांक 19.9.2012 को विधिविरूद्ध रूप से अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी को उक्त वर्णित आराजी सन् 1967 में आवंटित की गई इसके पश्चात से आज तक लगातार अपीलार्थी का कब्जा काश्त एवं गैर खातेदार होने के बावजूद नियमानुसार खातेदारी नहीं दी गई तो इसमें अपीलार्थी दोषी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि को काफी मेहनत एवं रूपया खर्च कर उपजाउ एवं उपयोगी बनाया है। पडौसियों के समान स्थिति के प्रकरण नियमन कर दिये गये है, लेकिन अपीलार्थी का प्रकरण नियमन योग्य होने के बावजूद राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण जानबूझ कर द्वेषतापूर्ण तरीके से खातेदारी प्रदान नहीं की गई है। अपीलार्थी का प्रकरण भू–संशोधन का अवशेष प्रकरण है। अपीलार्थी का वर्ष 1970–72 (भू–संशोधन के दौरान) के कब्जा काश्त दस्तावेजात से पूर्ण तया सिद्ध है। अपीलार्थी जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक राजस्व/भू–संशोधन/2002/6641–46 दिनांक 1.6.2002 के अनुसार एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि हेतु आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 (1–क) के अनुसार भी नियमानुसार खातेदारी प्राप्त करने/नियमन का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.09.2012 अपास्त कर अपीलार्थी के विरूद्ध की गई धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही/आदेश ड्राप किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायक चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा सिवाय चक भूमि रकबा 01–10–00 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप ही की गई है अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कोई कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2012 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.11..2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

09/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner